राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का बरेव

मुकदमा नं. 51/2018

वनाम श्रीमती प्रेमकंवर
पत्नि श्री गुमानसिंह
जाति राजपूत नि. बरेव
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेव खसरा नम्बर 522 रकवा 0.56 हैक्टर किस्म गैर मु. (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री मति प्रेमकंवर पत्नि श्री गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बरेव (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेव ख.न. 522 रकवा 0.56 है. किस्म गैर मु. पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिकमी को आरजी साज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 2 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 56 रु. (रूपये छप्पन रुपये रु.) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेव निर्णय की भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(signature)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

पंजिका न. वर्ष 2018-19 के पृष्ठ स. 61
पर अंकित कर 56/- रु. वसूल की
दर्ज कर ली गई।

तहसील राजस्व लेखाकार